भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4326

(दिनांक 21.03.2018 को उत्तर के लिए)

एसएससी परीक्षा पत्रों का लीक होना

4326. प्रो. साधु सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और अधीनस्थ विभागों हेतु अराजपत्रित स्टाफ की भर्ती हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा टियर-2 के परीक्षा पत्र के लीक होने का पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कथित परीक्षा पत्र के लीक होने पर सीबीआई जांच की मांग की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : कर्मचारी चयन आयोग को भारत सरकार और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों के लिए भर्ती करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वार्षिक आधार पर निम्नलिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है:-

I. नियमित रिक्तियों को भरने के लिए आठ अधिदेशित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाएं।

II. ऐसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में चयन पदों के लिए भर्ती करना जहां मंत्रालय/विभाग की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप अनिवार्य योग्यताएं मैट्रिकुलेशन से लेकर स्नातकोत्तर तक भिन्न-भिन्न हों।

III. (i) मल्टी टास्किंग स्टाफ से अवर श्रेणी लिपिक, (ii) अवर श्रेणी लिपिक से उच्च श्रेणी लिपिक (iii) आशुलिपिक ग्रेड 'घ' से आशुलिपिक ग्रेड 'ग' में पदोन्नति हेतु तीन सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं।

IV. आयोग द्वारा तीन गैर-अधिदेशित परीक्षाओं का आयोजन भी किया जाता है, अर्थात (i) अर्द्ध-सैनिक बल सिपाही (सामान्य ड्यूटी) परीक्षा (ii) दिल्ली पुलिस सिपाही (कार्यकारी) परीक्षा (iii) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) में सहायक वैज्ञानिकों की भर्ती हेतु परीक्षा।

(ख) से (घ) : कर्मचारी चयन आयोग का प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ था। कुछेक परीक्षा केंद्रों पर कुछ उम्मीदवारों द्वारा कथित रूप से नकल करने की कुछ छुट-पुट घटनाओं और उसके बाद उम्मीदवारों के एक वर्ग द्वारा आंदोलन करने को देखते हुए आयोग ने सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच की सिफारिश की है ताकि परीक्षा की प्रक्रिया में उम्मीदवारों का भरोसा पुनः कायम किया जा सके। आयोग की सिफारिश स्वीकार करते हुए सरकार ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच के लिए इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई ने दिनांक 8/3/2018 को प्रारंभिक जांच दर्ज की है।

******